राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प.12(1)शिक्षा–1/96 पार्ट–4 जयपुर, दिनांकः 22.7.10

क्षेत्रिय निदेशक,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,
उत्तर क्षेत्रीय समिति,
ए–46, शान्ति पथ, तिलक नगर,
जयपुर।

विषय :– राजकीय एवं गैर राजकीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को बी.पी.एड पाठ्यकम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

निम्नलिखित राजकीय/गैर राजकीय क्षेत्र के शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उनके नाम के आगे अंकित सीटों के लिए बी.पी.एड पाठ्यकम सत्र 2010–11 संचालित करने हेतु निर्देशानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता हैं :–

क. सं.	शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय का नाम	बी.पी.एड. पाठ्यकम सत्र 2010-11 के लिए संचालित करने हेतु सीटों का आवंटन
1.	2	3
1.	राज. शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर	120 (सेवारत–30)
2.	देवीदत्त डालमिया शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जामडोली, जयपुर	100
3.	श्री गांधी शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुलाबपुरा, भीलवाडा	60
4.	राणा प्रताप शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भिण्डर, उदयपुर	100 (20 माडा, 20 टाडा)
5.	सनातम शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, केकडी, अजमेर	60
6.	आर्दश शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सूरोठ, करौली	60
7.	द्वारका शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नालबडी, बीकानेर	60
8.	भारत माता शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, किशनगंज, बांरा	100
9.	नारायणी देवी वर्मा महिला आश्रम शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भीलवाडा	60
10.	कृष्णा शा.शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मावली, उदयपुर	50
11	दयानन्द शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर	50
	योग	820

संस्थाओं में छात्र/छात्राओं के प्रवेश का कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 एवं 15 विनियम भारत सरकार राजपत्र भाग–।।। खण्ड–4 दिनांक 24 फरवरी, 1996 के अन्तर्गत मान्यता/अनुमति प्रदान किये जाने के वाद ही होगें।

उपरोक्त सीटों पर प्रवेश प्रकिया विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया के नियमों के अनुरूप होगी। राजकीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के अंतर्गत जारी विनियम एफ 28.11.95/एनसीटीई दिनांक 21.12.95 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति के कार्यालय आदेश कमांकः राअशिप/उक्षेरा/प–3 (4) रा.म. 7/97/9065 दिनांक 16.3.98 द्वारा राजस्थान राज्य में शारीरिक शिक्षक पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए अनुमोदित एजेन्सी स्वीकार किया जा चुका है, अतः बी0पी0एड0 पाठ्यकम के लिए शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर को प्रवेश के लिए अनुमोदित एजेन्सी नियुक्त किया जाता है।

भवदीय,
22/7/10
उपशासन सचिव–शिक्षा

D:\MALU RAM MEENA\OPS\12(1)96 Part-4.doc

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री/शिक्षा राज्य मंत्री/प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्राचार्य, शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संबंधित संस्थाओं को एनसीटीई से मान्यता उपरांत ही संस्था में प्रवेश आदेशित करने का श्रम करें।
4. संबंधित रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय जयपुर/उदयपुर/अजमेर/जोधपुर/भीलवाडा/करौली/बारां/बीकानेर।
5. संबंधित रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय, राजस्थान
6. संबंधित संस्था प्राचार्य.. को प्रेषित कर लेख है कि एनसीटीई ए-46, शांति पथ तिलक नगर, जयपुर कोक मान्यता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस विभाग को सूचित करें साथ ही एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कर ही वर्ष 2009-10 में स्वीकृत सीटों पर ही प्रवेश देवें।
7. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव, प्रथम